संख्या-59/2018/876/26-3-2018-4(56)/96टी0सी0

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 20 मार्च, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक-6015/स.क./शिक्षा-अ/1/22/2017-18 दिनांक-22.01.2018 एवं पत्रांक-7309/स.क./शिक्षा-अ/01/22/2017-18 दिनांक-28.02.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष को भी पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-110000.00 लाख (रू0-ग्यारह अरब मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-82500.00 लाख (रू0 आठ अरब पच्चीस करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त प्राविधानित धनराशि में से रू0-89465.00 (रू0 आठ अरब चौरानबे करोड़ पैसठ लाख मात्र) को बचनबद्ध देयता/राज्यांश के रूप में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत व्यय करने तथा अवशेष प्राविधान रू0-20535.00 लाख (रू0 दो अरब पांच करोड पैतिस लाख मात्र) केन्द्रांश के रू0 में व्यय किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/संबंधित नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) यह योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन किया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रान्श भारत सरकार से प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोजन न किया जाये और धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

(6) उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति(के.100/रा.0-के.)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

संख्या-59/2018/876(1)/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6-राज्य योजना आयोग-1/2

7-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।

8-गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।